न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री दिपेन्द्रसिंह राठौर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रकरण संख्या :— 83/2011 दायर दिनांकः— 15/12/2011
निर्णय दिनांकः— 10/06/2015

1:— श्रीमती मीर पुत्री कचरा पत्नि नानूराम अहारी भील उम्र 50 वर्ष निवासी खडगदा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।

—वादी—

बनाम

1:— श्रीमती कंकु पिता कलजी पत्नि नानु सरपोटा जाति मीणा उम्र 35 वर्ष निवासी खडगदा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।

2:— श्रीमती दुर्गा पिता कलजी पत्नि जगु डोडियार जाति मीणा उम्र 30 वर्ष निवासी खडगदा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।

3:— श्रीमती धुली बेवा कलजी बामणिया जाति मीणा उम्र 65 वर्ष निवासी खडगदा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

4:— श्रीमती हीर पत्नि धारजी बामणिया जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी खडगदा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

5:— श्रीमान तहसीलदार, भूमिधारी तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

दावा बाबत द्योषणा व ईन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

वादीया के पिता कचरा पिता वेसात के मौजा खडगदा में उनके स्वत्व स्वामित्व की खाता नं 65 की आराजी नं 2451, 2452, नामें भीतडा रा—ा रकबा एक बीघा पांच बीस्वा एवं खसंरा नं 2761 नामें पनवा रकबा तीन बिघा सात बिस्वा सुखी—ाा स्थित थी। जिसकी जमाबन्दी पटवार हल्का खडगदा तहसील सागवाडा के संवत् 2038 से 2041 में दर्ज रेकार्ड है। व सैटलमेन्ट की जमाबन्दी संवत् 2025 में दर्ज रेकार्ड थी। वादीया अपने विता वेसात के सन्तान में एक पुत्री वादीया ही थी। कचरा की मृत्यु के बाद वादिया ही काश्त करती व शादी हो जाने के बाद उक्त आराजी पर वादीया ने उक्त आराजीयान अपने काका कलजी को भाग पर कमाने दी। उसमें जो उत्पन्न होता उसका 1/2 भाग अपने काका वेसात से प्राप्त करती व अभी भी वादीया प्रतिवादी नम्बर 3 से भाग पर काश्त से खेती करा कर भाग लेती रही है। वादीया को पैसों की आवश्यकता होने से बैक से ऋण लेने उक्त आराजीयात की जमाबन्दी की नकल व ऋण के लिये आवश्यक कागजात पटवारी व तहसील कार्यालय से निकलवाये तो उक्त आराजी के खातेदार में प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 का नाम दर्ज रेकार्ड पाया तो वादीया ने अपने पिता कचरा के फोत होने के बाद नामान्तरण के कागजात निकलवाये तो पाया कि नामान्तरण में वादीया के नाम के बजाय वादीया के काका कलजी का नाम रेकार्ड में अमल दरामद किया हुआ पाया। वादीया के काका कलजी के फोत होने के बाद विरासती नामान्तरण प्रतिवादी नं 1,2, व 3 के नाम से खुला उसकी नकलें राजस्व विभाग से

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

प्राप्त की तो प्रतिवादी नं 1, 2 , व 3 के विरासती खाते में खसंरा नं 2761/4 रकबा तीन बीघा सात बिस्वा जमीन थी, जिस पर राजस्व रेकार्ड में फिर से तलाश की तो कलजी ने जितेजी खसंरा नं 2451, 2452 रकबा एक बीघा पांच बिस्वा आराजी प्रतिवादी नं 4 हिर को बेचान कर देने से उक्त आराजी प्रतिवादी नं 4 हिर को बेचान कर देने से उक्त आराजी हिर पत्नि धारजी मीणा के नाम नामान्तरण संवत् 2041 से दर्ज रेकार्ड किया। वादीया के पिता कचरा ला औलाद नहीं थें। उनकी एक मात्र पुत्री वादीया थी फिर भी प्रतिवादी नं 3 के पति ने सरपंच व पटवारी से मिलकर व सांठ गाठ कर उक्त आराजी गलत रूप से अपने नाम दर्ज करवावली व उक्त आराजी 2451, 2452, व 2761/4 अपने नाम दर्ज होने के बाद उक्त आराजी में खसंरा नम्बर 2451 , 2452 को दिनांक 01.03.2005 को बिना वादीया की जानकारी के अवैधानिक तरीके से प्रतिवादी नं 4 के हक में बेचान कर दी जिसका नामान्तरण सं 2045 दिनांक 02.04.2007 को नामान्तरण प्रतिवादी नं 4 के नाम से खुल गया।

वादीया के पिता कचरा के बाद उक्त आराजीयात की विरासती इन्तकाली कानुनी रूप से वादीया के नाम से इन्द्राज होनी चाहिए व उक्त आराजी के खसंरा नं 2451, 2452 को प्रतिवादी नं 1 , 2 , व 3 पिता व पति कमजी ने प्रतिवादी नं 4 श्रीमती हिर के हक में गैर कानुनी तरीके से बेचान कर दी है। जिसे नामान्तरण सं 770 नवीन खसंरा 2121 व 2049 मौजा खडगदा पटवार हल्का खडगदा निरस्त कर वादीया के नाम इन्द्राज दुरस्ती कर वादीया को खातेदार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। व प्रतिवादी नं 1, 2 ,3 व 4 को उक्त आराजीयात पर आने जाने व काश्त करने से जरिये स्थायी निषेघाज्ञा रोका जाना आवश्यक है व वादीया को खातेदार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त आराजीयात वादीया के वारिसाना हक की है। व गलत तरीके से प्रतिवादी नं 3 के पति व 1 व 2 के पिता कलजी ने अपने नाम खाते में इन्द्राज कर वादी व प्रतिवादी नम्बर 4 को बेचान कर दी है। जिससे प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 के नामान्तरण निरस्त कर खाता से नाम हटा कर वादीया के नाम इन्द्राज दुरस्ती कर खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। अन्यथा वादीया को ऐसा नुकसान होगा जिसकी क्षति पूर्ति नहीं हो सकेगी । अपितु वादीया के नाम इन्द्राज दुरस्ती होकर उसे खातेदार होने पर प्रतिवादी नं 1 से 4 को कोई नुकसान होने की सम्भावना नहीं है। वादीया को उक्त तथ्य की जानकारी बैक ऋण प्राप्त करने उक्त आराजीयात की नकले निकलवाने से जानकारी होने मामले में वाद कारण दिनांक 31.10.2011 को सम्पूर्ण रूप से पैदा हुई है।

अतः निवेदन है कि वाद वादीया स्वीकार फरमाया जाकर निम्न डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर फरमाई जावें। कि खाता नम्बर 65 के खसंरा नं 2761/4 नामें पनवा रकबा तीन बीघा सात बिस्वा सुखी–iii व खाता नं 1025 खसंरा नं 2451, 2452 नामें भीतडा रकबा एक बीघा पांच बिस्वा रा–i प्रतिवादी नं 1 से 4 की इन्तकाली निरस्त कर उनके नाम हटा कर वादीया के नाम इन्द्राज दुरस्ती की जावें व वादीया को खातेदार घोषित किया जावें। खाता नं 65 की आराजी 2761/4 रकबा तीन बीघा सात बिस्वा व 2451,2452 रकबा एक बीघा पांच बिस्वा मौजा खडगदा से प्रतिवादीगण नं 1 से 4 को हटा कर उन्हें उक्त आराजी पर जाने से जरिये स्थायी निषेघाज्ञा रोका जावें।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर दिनांक 19/11/2012 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर जवाब प्रतिवादी समाप्त किया गया । वाद में तनकी कायम न की जाकर साक्ष्यवादी में नियत किया गया। वादी द्वारा अपने साक्ष्य में नक्शा ट्रैस खसंरा सं 2451, [redacted] रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा , खसंरा सं 2761 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा मौजा खडगदा (EX1), नामान्तरकरण पंजिका ग्राम खडगदा दिनांक 13/06/1986 की प्रतिलिपि (EX2), खतौनी जमाबन्दी ग्राम खडगदा खाता सं 421 खसंरा सं 2451 , 2452, 2761/4 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा (EX3), जमाबन्दी खतौनी ग्राम खडगदा संवत् 2038–2041 तक खाता सं

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

2451, 2452 व 2761/4 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा (EX4), नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम खडगदा खसंरा सं 2451, 2452 दिनांक 05/04/2007 (EX5), नामान्तरकरण सं 2121 ग्राम खडगदा दिनांक 20/02/2009 की प्रतिलिपि (EX6),जमाबन्दी संवत् 2067–2070 खाता सं 65, खसंरा सं 2761/4 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा मौजा खडगदा (EX7), जमाबन्दी संवत् 2067–70 मौजा खडगदा खाता सं 1025 खसंरा सं 2451 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा (EX8), जमाबन्दी संवत् 2063–66 खाता सं 133 खसंरा 2451, 2452 2761/4 रकबा कमशः 1 बीघा 5 बिस्वा, 3 बीघा 7 बिस्वा की प्रतिलिपि (EX9), आदि प्रस्तुत किए। गवाह के रूप में मीर पुत्री कचरा का शपथ–पत्र (PW1), प्रस्तुत किया। साक्ष्य प्रदर्श करवाए गए। एकतरफा बहस सुनी गई । निर्णय निम्नानुसार है।

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार ग्राम खडगदा की भूप्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी संवत् 2022 में खाता सं 421 खसंरा सं 2451, 2452 व 2761/4 रकबा कमशः 1 बीघा 5 बिस्वा , व 3 बीघा 7 बिस्वा कचरा वल्द वेसात के नाम दर्ज थी। उक्त आराजीयात ग्राम खडगदा जमाबन्दी खतौनी संवत् 2038–2041 खाता सं 54 में कचरा पिता वेचात से नामान्तरकरण सं 770 दिनांक 13/06/1986 से कलजी पिता वेचात के नाम दर्ज हुई । वर्तमान में जमाबन्दी संवत् 2067–70 के अनुसार खसंरा सं 2761/4 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा नामान्तरण सं 2121 दिनांक 20/02/2009 के द्वारा कलजी के वारिसान के नाम विरासत से दर्ज हुई है। तथा खसंरा सं 2451 व 2452 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा विक्रय से हिर पत्नि धारजी मीणा के नाम नामान्तरकरण सं 2049 दिनांक 05/04/2007 द्वारा दर्ज हुई।

प्रस्तुत साक्ष्यों से स्पष्ट है कि, वादग्रस्त आराजियात वादीया के पिता के नाम दर्ज थी । जो विरासत से वादिया के नाम दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु वादिया के पिता के भाई के नाम दर्ज कर दी गई। अतः प्रस्तुत साक्ष्यों से वादियॉ का दावा स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। अतः वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में नामान्तरकरण सं॰ 770 दिनांक 13/06/1986 नामान्तरकरण सं॰ 2121 दिनांक तथा नामान्तरकरण सं 2049 दिनांक 05/04/2007 निरस्त किया जाता है तथा वादिया को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार द्योषित किया जाता है। इस आशय की डिक्री जारी हों। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार हों। नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner